भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2597

शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के तहत सुरक्षा संबंधी विशेषताएँ

2597. श्रीमती फूलो देवी नेतमः
डॉ. अमी याज्ञिकः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आधार और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) प्लेटफॉर्म की तरह सुलभ और व्यापक पहुँच वाले ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) स्थापित करने की कोई ठोस योजना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार छोटे, गैर-तकनीकी सक्षमता व्यापारियों को ओएनडीसी से जुड़ने में किस तरह से मदद करेगी;

(ग) सरकार ओएनडीसी पर राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायों की तुलना में स्थानीय व्यवसायों को किस प्रकार सक्षम बनाएगी; और

(घ) क्या सरकार ने ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं और किसी भी अन्य हितधारकों को किसी भी हमले या धोखाधड़ी से बचाने के लिए नियम और/या आदेश बनाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): जी, हां। सरकार की यह योजना है कि जहां तक संभव हो, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को सुलभ बनाया जाए तथा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए।

सरकार ओएनडीसी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, जो अपनी तरह की पहली वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल ई-कॉमर्स को सभी तक पहुंचाना है। ओएनडीसी से समानता आएगी तथा यह बड़े और छोटे पैमाने के उद्यमों को प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराएगा, वस्तुओं और सेवाओं के कुशल आदान-प्रदान में सहायता करेगा।

ओएनडीसी को सुलभ बनाने तथा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- छोटे विक्रेताओं और व्यवसायों को ओएनडीसी तथा इसके लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न उद्योग संघों के साथ मिलकर देशभर में जागरूकता कार्यशालाएं आयो जित करना।
- राज्य स्तर पर संलग्नता योजनाओं में तेजी लाने के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियु क्त किए गए हैं। देशभर में विभिन्न ओएनडीसी जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
- उपभोक्ताओं को ओएनडीसी, स्थानीय व्यवसायों की सहायता करने से होने वाले लाभों तथा उनके चयन से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी देना।

(ख): सरकार, छोटे और तकनीक का उपयोग न करने वाले व्यापारियों को सशक्त बनाने तथा ओएनडीसी के जरिए स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के महत्व को समझती है। ओएनडीसी में शामिल होने में

छोटे और तकनीक का उपयोग न करने वाले व्यापारियों की सहायता करने के लिए प्रस्तावित विभिन्न पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- छोटे विक्रेताओं और व्यवसायों को ओएनडीसी तथा इसके लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए ओएनडीसी ने विभिन्न उद्योग संघों के साथ मिलकर देशभर में 25 से अधिक जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आरएआई, पीएचडीसीसीआई, फिक्की, नैसकॉम, सीआईआई और एफएचआरएआई के सहयोग से अनेक संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
- ओएनडीसी, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने ओएनडीसी के साथ राज्य स्तरीय भागीदारी में तेजी लाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। देशभर में विभिन्न ओएनडीसी जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
- विक्रेताओं की पहचान करने तथा उन्हें ओएनडीसी के लाभों और विक्रेता एप्लीकेशन के जरिए इसमें शामिल होने के बारे में शिक्षित करने, विक्रेता एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए विक्रेताओं की सहायता करने और प्रारंभिक स्तर की मूलभूत सूची तैयार करने में नेटवर्क भागीदारों की सहायता करने हेतु ओएनडीसी ने फीट ऑन स्ट्रीट (एफओएस) कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें 90 एफओएस संसाधन शामिल हैं।
- ओएनडीसी ने हाल ही में एक अकादमी शुरू की है जो शैक्षणिक और सूचनात्मक टेक्स्ट और वीडियो सामग्री का भंडार है। ओएनडीसी अकादमी सीखने का सुव्यवस्थित अनुभव प्रदान करती है जिसमें ओएनडीसी नेटवर्क के प्रत्येक भागीदार को सफल ई-कॉमर्स प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां उपलब्ध होती हैं।

(ग) : सरकार, स्थानीय और राष्ट्रीय, दोनों स्तर के व्यवसायों को ओएनडीसी के योग्य बनाने का प्रस्ताव करती है जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स के लिए समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ओएनडीसी में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायों सहित ई-कॉमर्स उद्योग की सभी कंपनियों के लिए संभावित लाभ शामिल होंगे।

(घ) : ओएनडीसी और ओएनडीसी नेटवर्क के सभी नेटवर्क भागीदार, भारत के सभी मौजूदा लागू कानूनों और विनियमों के अध्यधीन हैं।

*****